उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि०

की

उपविधियां

(सील) उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि०
संख्या १९६७ जिला लखनऊ
की संशोधित नियमावली की नियमतः
रजिस्ट्री दिनांक १३-८-६९ को हुई
ह०/–आर० डी० गुप्ता
उप निबन्धक (केन्द्रीय)
सहकारी समितियां, उ० प्र०
लखनऊ

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि०

की

उपविधियां

(१) नाम और मुख्यालय

१–यह संघ उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि० कहलायेगा।

२–उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि०, का पंजीकृत कार्यालय लखनऊ में होगा।

(२) परिभाषायें

३–इन उपविधियों में जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात विपरीत न हो, तब तक :—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम सन् १९६५ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ११, १९६६) जैसा कि वह समय-समय पर बाद में संशोधित हो और नियमावली का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली १९६८ से होगा।

(ख) "संघ" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि० या यू० पी० उपभोक्ता सहकारी संघ लि० से होगा।

(ग) "सम्बद्ध समिति" का तात्पर्य उस समिति से है जो उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि० की भागीदार हों।

(घ) "निबन्धक" का तात्पर्य सहकारी समिति निबन्धक उत्तर प्रदेश तथा अधिनियम तथा नियमों द्वारा प्रदत्त सहकारी समिति निबन्धक की एक या किन्हीं अधिकारों का प्रयोग करने वाला अधिकारी है।

(च) "प्रबन्ध कमेटी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि० की उस प्रबन्ध कमेटी से है जिसको अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों के अनुसार संघ के कार्य को संचालित करने का अधिकार दिया गया हो।

(छ) उन शब्दों तथा वाक्यों का अर्थ जिन्हें इसमें प्रयोग किया गया हो परन्तु परिभाषित न किया गया हो वही होगा जो अधिनियम तथा नियमों में निर्दिष्ट हैं।

(ज) "उप विधियों" का तात्पर्य उन पंजीकृत उपविधियों से है जो उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि० में वर्तमान समय में लागू हों।

(झ) "सचिव" का तात्पर्य संघ के सचिव से है जिसकी नियुक्ति अधिनियम की धारा ३१ के अन्तर्गत हुई हो।

(ञ) "संचालक" का तात्पर्य प्रबन्ध कमेटी के उस सदस्य से होगा जो प्रबन्ध कमेटी में सदस्य के रूप में काम करने हेतु निर्वाचित, आमेलित अथवा मनोनीत हुआ हो।

(३) कार्यक्षेत्र

४—उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि० का कार्यक्षेत्र समस्त उत्तर प्रदेश राज्य तक सीमित होगा।

(४) उद्देश्य

(क) मुख्य :

५—उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि० का मुख्य उद्देश्य सदस्य थोक सहकारी भंडारों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना तथा सहायता प्रदान करना और उनकी उन्नति, तथा विकास कार्यों में सहयोग प्रदान करना और इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु :—

(क) अपने से सम्बद्ध भंडारों के लिये राज्य के बाहर तथा अन्दर से उपभोक्ता वस्तुओं को प्रचुर मात्रा में प्राप्त करना, गोदाम में रखना, प्रक्रिय तथा पैकिंग करना और एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का प्रबन्ध करना।

(ख) सरकार, किसी जन संस्था, निजी संस्था या सहकारी संस्था के अभिकर्ता के रूप में नियंत्रित या अन्य उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण करना और उपभोक्ता वस्तुओं का विदेशों से आयात करने का प्रबन्ध करना।

(ग) उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन एवं प्रक्रियात्मक इकाइयों का संगठन तथा सञ्चालन (स्वयं अथवा अन्य किसी सहकारी संस्था की साझेदारी से) करना जिससे सम्बद्ध समितियों की मांगो की पूर्ति हो।

(घ) सम्बद्ध सहकारी थोक मंडारों के कर्मचारियों के लिये सेवा विनियम बनाना।

(च) सम्बद्ध उपभोक्ता भंडारों का वर्गीकरण, पैकिंग थोक क्रय, गोदाम में रखने, मूल्य निर्धारण, विक्रय तथा अन्य व्यवसायिक प्रविधियों जिसमें प्रबन्धकीय रीति भी सम्मिलित है, के सम्बन्ध में परामर्श देना और ऐसा पथ प्रदर्शन करना जिससे उन्नति सम्बन्धी कार्यों तथा प्रबन्धकीय क्षमता में बृद्धि हो सके।

(छ) लेखा-जोखा को सही ढंग से रखने, स्कंध पर नियंत्रण एवं नामांकित करने के सम्बन्ध में अपने से सम्बद्ध थोक उपभोक्ता भंडारों को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना।

(ज) सम्बद्ध थोक उपभोक्ता भंडारों के सुगम एवं कुशल संचालक के लिए सहयोग देना।

(झ) बैठकों, सेमिनारों तथा गोष्ठियों का आयोजन करना प्रचार एवं विज्ञापन कार्यो को अपनाना या इसी प्रकार के ऐसे दूसरे कार्य करना जो उपभोक्ता योजना की विकास के लिये लाभप्रद हों और जिनसे सदस्यों को उपभोक्ता योजना के महत्व की जानकारी हो सके।

(ट) उपभोक्ता भंडारों के व्यवसाय से सम्बन्धित आवश्यक व्यापारिक आंकड़े एकत्रित करना तथा उन्हें सदस्य भंडारों तक पहुंचाना।

(ठ) उपभोक्ता भंडारों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, सम्बन्धित संगठनों की स्वीकृति से कराना।

(ड) सम्बद्ध थोक उपभोक्ता भंडारों को स्टेट बैंक, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा अन्य व्यवसायिक बैंकों या ऋण प्रदान करने वाले संगठनों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने में सहयोग देना।

(द) आवश्यक तथा लघु मात्रा में प्राप्त होने वाली उपभोक्ता सामग्रियों की पूर्ति एवं बढ़ते हुए दामों को नियंत्रित करने में सहयोग देना।

(त) उपभोक्ता भंडारों की सलाह से एक सामान्य प्रबन्धकीय सम्वर्ग का संगठन करना तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध कराना जिससे उनकी कार्य क्षमता एवं विक्रय क्षमता में वृद्धि हो सके।

(ख) गौण :–

उपभोक्ता उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिये उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ निम्न कार्य भी करेगा :–

(१) निबन्धक के अनुमोदन से सरकार से अंशधन तथा सरकार और सहकारी बैंकों से, स्टेट बैंक से तथा अन्य व्यापारिक बैंकों से ऋण प्राप्त करना।

(२) उपभोक्ता वस्तुओं के थोक व्यवसाय की एजेन्सी प्राप्त करना।

(३) क्रय-विक्रय, प्रक्रिया तथा औद्योगिक सहकारी समितियों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करना।

(४) राज्य सहकारी बैंक, राष्ट्रीय और राजकीय स्तर के संघों तथा यूनियनों का सदस्य बनना।

(५) भूमि, भवन, वाहन, कारखाने, कर्मशाला, मशीनरी एव औजारों को प्राप्त करना या भवन बनवाना या कर्मशालाओं और कारखानों का निर्माण करना और प्रदर्शन कक्ष बनवाना।

(६) विशेष प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए कोष्ठ का निर्माण करना एवं चलाना।

(७) निबन्धक के अनुमोदन से ऐसे अन्य कार्यों को अपनाना और करना जो उक्त उद्देश्यों की पूर्ति में प्रसागिक एवं सहायक हों और जिनसे सहकारी उपभोक्ता योजना की वृद्धि में सहायता प्राप्त हो।

(८) संघ तथा अपने से सम्बद्ध अन्य इकाइयों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं नवीकरण पाठ्यक्रमों के लिये प्रबन्ध करना।

(५) सदस्यता

६–संघ की सदस्यता चार प्रकार की होगी :–

(१) साधारण सदस्य
(२) सहानुभूतिकर सदस्य
(३) नाममात्र सदस्य
(४) सम्बद्ध सदस्य

१–संघ की संधारण सदस्यता उत्तर प्रदेश में निम्न को प्राप्त होगी :–

(क) सहकारी उपभोक्ता थोक भंडार
(ख) प्रादेशिक सहकारी संघ लि०
(ग) अन्य शीर्षस्थ (राज्य स्तर) सहकारी संगठन

(घ) राज्य सरकार

(ङ) केन्द्रीय सरकार

(च) राज्य गोदाम निगम

(छ) अन्य निगमित निकाय जो निबन्धक द्वारा अनुमोदित हों।

(ज) उन जनपदों के जिला सहकारी विकास संघ जहां केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार कार्यरत नहीं हैं।

२–(क) कोई व्यक्ति जो संघ के उद्देश्य की पूर्ति तथा सदस्य कार्यकर्ताओं के कल्याण में वास्तविक अभिरुचि रखता हो सहानुभूतिकर सदस्य बनाया जा सकता है।

(ख) संघ के सहानुभूतिकर सदस्यों की संख्या किसी भी समय साधारण सदस्यों की कुल सख्या के पांच प्रतिशत से अधिक न होगी और प्रबन्ध कमेटी में सहानुभूतिकर सदस्यों की संख्या न तो दो से अधिक होगी और न सहकारी समिति के सहानुभूति कर सदस्यों की संख्या के दस प्रतिशत से अधिक होगी और न प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की कुल संख्या के पांचवें भाग से ही अधिक होगी। सहानुभूतिकर सदस्यों का अंशधन साधारण सदस्यों के समान होगा।

(ग) प्रत्येक व्यक्ति जो समिति का सहानुभूतिकर सदस्य बनना चाहता है उसे प्रपत्र 'अ' पर समिति के सचिव को प्रार्थना पत्र देना होगा।

३–नाम मात्र सदस्य :—

नाम मात्र सदस्य उन व्यक्तियों को जो संघ से केवल व्यापारिक सम्बन्ध रखते हों या रखने के इच्छुक हों तथा संघ के कर्मचारियों को बनाया जाएगा। नाम मात्र सदस्य केवल १० रुपया प्रवेश शुल्क देंगे जो किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा और न इस पर कोई ब्याज देय होगा। नाम मात्र सदस्य संघ के प्रबन्ध में कोई भाग लेने के अधिकारी न होंगे। उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा और न संघ में

लाभ के भागीदार होंगे। यदि संघ की प्रबन्ध कमेटी सचिव को अधिकृत करे तो सचिव नाम मात्र सदस्यों के प्रवेश की स्वीकृति दे सकता है।

४–सम्बद्ध सदस्य :—

(क) कोई व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत वयस्क भी हैं जो संघ के कारोबार में मौसमी या अस्थाई कर्मचारी अथवा शिशिक्षु हों या उस कारोबार में अन्य रूप से हित रखते हों, सम्बद्ध सदस्य बनाया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध सदस्य प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के लिए पात्र न होगा और न मजदूरी तथा बोनस के अतिरिक्त लाभों में हिस्सा पाने का ही उसे अधिकार होगा।

७–मौलिक सदस्य वे सहकारी थोक उपभोक्ता भंडार या अन्य (उपविधि संख्या ६ के अन्तर्गत अधिकृत अंशधारी) होंगे जिन्होंने पंजीकरण के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किये हों। इसके उपरान्त सदस्यों की भर्ती उपविधियों के अनुसार होगी।

८–(क) प्रत्येक साधारण सदस्य को १० रुपया प्रवेश शुल्क देना होगा जो किसी भी दशा में वापस न होगा, और उसे कम से कम २० अंश जिनका प्रत्येक का मूल्य ५०० रु० प्रति अंश होगा, लेना होगा। राज्य सरकार उतने अंश क्रय कर सकती है जोकि संघ एवं राज्य सरकार के मध्य में आपस में तय हो जांय।

(ख) निबन्धक के अनुमोदन से सामान्य निकाय अंशों की मात्रा को अधिनियम, नियमावली तथा उपविधियों के अनुसार कम कर सकती है।

९–संघ के सचिव को निर्धारित रूप पत्र पर, यदि कोई इस उद्देश्य के लिये बनाया गया हो, सदस्यता प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र दिया जायेगा। प्रबन्ध कमेटी ऐसे प्रत्येक सहकारी थोक भंडार या व्यक्ति को जो सदस्यता की योग्यता रखता हो संघ का सदस्य उपविधियों के अनुसार बना सकती है बशर्ते कि प्रबन्ध कमेटी को यह

अधिकार हो कि वह किसी प्रार्थी को नेक तथा समुचित कारणों के आधार पर जिनका लिखित उल्लेख किया जाय और प्रार्थी को बतलाया जाय, प्रवेश अस्वीकार कर सकती है। एक प्राथी जिसकी सदस्यता अस्वीकृति कर दी गई हो या जिसे प्रवन्ध कमेटी ने प्रवेश के प्रार्थना-पत्र के प्राप्ति के, नाम मात्र या सम्बद्ध की दशा में ३० दिन के भीतर और सहकारी या सहानुभूतिकर सदस्य की दशा में ६० दिन के भीतर सदस्यता अस्वीकृति होने के कारण न भेजे गये हों, को अधिकार होगा कि निबन्धक के पास अपील कर सकें। निबन्धक के निर्णय को राज्य संघ तथा प्रार्थी दोनों ही मानने के लिये बाध्य होंगे।

१०–किसी व्यक्ति को सदस्यता के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे जब तक कि उस व्यक्ति ने प्रवेश के समय पर :–

(क) उपविधि संख्या ८ (क) के अनुबन्धों के अनुसार प्रवेश शुल्क न दे दिया हो तथा समर्पित अंशदान अदा न कर दिया हो।

(ख) ऐसे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न कर दिया हो जिससे वह प्रचलित संघ की उपविधियों और उसमें किये गये संशोधनों एवं परिवर्धनों से अपने सदस्यता काल में बाध्य होगा।

११–कोई सम्बद्ध समिति एक व्यक्ति को संघ की साधारण सभा की बैठकों में भाग लेने के लिये एक प्रस्ताव अपनी बैठक में पारित करके नियुक्त कर सकती है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा नियुक्त किया गया व्यक्ति निम्न में से कोई हो :–

(क) नियुक्ति करने वाली सम्बद्ध समिति का वह स्वयं सदस्य हो।

(ख) एक ऐसी समिति का सदस्य हो जो सम्बद्ध समिति की सदस्य हो।

सदस्यता की समाप्ति

१२–संघ की सदस्यता नियमावली तथा उपविधियों के अनुसार निम्न दशाओं में समाप्त हो जायेगी :—

(क) सदस्य समिति के पंजीकरण के समाप्त हो जाने पर,

(ख) सदस्यता की अर्हता समाप्त होने पर,

(ग) यदि सम्बद्ध समिति संघ से सम्बन्ध विच्छेद करने के प्रस्ताव पारित कर दे और ऐसा प्रस्ताव लिखित रूप से संघ को भेजा गया हो और संघ की प्रबन्ध कमेटी ने उसे स्वीकार कर लिया हो।

(घ) यदि कोई सदस्य अपने समस्त अंश जो उसने संघ में लिये हो का हस्तांतरण अन्य सदस्य को कर दे या यदि कोई सदस्य संघ की उपविधि संख्या ८ (क) में वर्णित न्यूनतम अंश लेने में असफल रहे।

(च) यदि संघ की सदस्यता नियमों तथा उपविधियों से असंगत हो,

(छ) यदि कोई नाम मात्रि, सहानुभूतिकर या सम्बद्ध सदस्य अस्वस्थ मस्तिष्क का हो गया हो।

(ज) यदि कोई सदस्य संघ की उपविधियों के प्राविधान को भंग करके संघ के हित को जान-बूझकर हानि पहुंचाये।

(झ) यदि कोई सदस्य संघ की उपविधियों के प्राविधान के अनुसार कोई झूठ दर्शाये या किसी सत्यता को अपने घोषणा पत्र में असत्य दर्शाये या किसी सत्य बात को छिपाये जिनके कारण सदस्य को संघ से कोई लाभ प्राप्त हुआ हो या संघ को कोई आर्थिक हानि हुई हो।

१३–किसी प्रकार का कोई अंश संघ द्वारा वापस न होगा। उपविधि १८ के अनुसार किसी प्रकार का कोई अंश उस समय तक हस्तांतरित न होगा जब तक अंश हस्तांतरण करने वाला तथा अंश पाने वाले की स्वीकृति प्रबन्ध कमेटी द्वारा अनुमोदित न हो। अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत एक सदस्य समिति की सदस्यता समाप्त हो सकती है यदि वह लगातार अंशों की किश्तों तथा अन्य ऋणों का भुगतान न करे या संघ के प्रति अपने दायित्वों को निभाने में असफल रहे, नियमों तथा उपविधियों को जानबूझ कर भंग करे

अवधि के अन्दर निवृत्त किया जा सकता है या उस समय के उपरान्त जिसे राज्य सरकार ने संघ की सदस्यता स्वीकृति करते समय सूचित किया हो ।

(घ) संघ को स्पष्ट लिखित ३० दिन की नोटिस सदस्य समिति द्वारा दी जाय जिससे स्पष्ट रूप से प्रस्तावित हस्तांतरकर्ता का नाम सम्मति और उसकी सदस्यता का प्रार्थना पत्र का विवरण हो ।

(च) हस्तांतरक संघ को देय समस्त दायित्वों से मुक्त हो ।

(छ) ऐसे हस्तांतरित हिस्सों पर संघ के हित में कोई भी देय बने रहेंगे जबतक कि उन्हें अन्यथा मुक्त न कर दिया गया हो ।

(ज) संघ के किसी सदस्य द्वारा धृत अंशों का, उसके द्वारा उस समिति से जिसका वह सदस्य हो भिन्न किसी व्यक्ति या निकाय से लिये गये किसी ऋण के लिये प्रतिभूति के रूप में उसके द्वारा दृष्टि बन्धक नहीं रखा जायेगा ।

१९–संघ को अधिकार होगा कि वह अपने किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य से संघ के पावने की धनराशि या जिसके लिये वह सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के जामिन हैं, को मुजरा कर सकता है ।

(९) उधार लेना

२०–(क) संघ अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत और निबन्धक के नीति सम्बन्धी निर्देशों का यदि कोई समय-सयय पर दिये गये हों, तथा साधारण सभा द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों तथा शर्तों के अनुसार या प्रबन्ध कमेटी द्वारा बनाये गये नियमों जिनके लिये साधारण सभा ने अधिकृत किया हो, के अधीन धन उधार ले सकता है तथा निक्षेप स्वीकृत कर सकता है ।

(ख) प्रबन्ध कमेटी समय-समय पर ऋण तथा निक्षेप के व्याज की दर निर्धारित करेगी ।

(ग) संघ का अधिकतम दायित्व उसकी वार्षिक सामान्य बैठक में निश्चित किया जायेगा परन्तु वह उसके स्वामित्व युक्त पूँजी के दस गुने से अधिक न होगा, और निबन्धक के अनुमोदन के अधीन होगा ।

(घ) संघ सदस्यों या असदस्यों से अधिकतम दायित्व से अधिक निक्षेप नहीं करेगा और न ऋण लेगा ।

(१०) विनियोग

२१–संघ अधिनियम तथा नियमों के अनुसार अपनी निधियाँ निम्नानुसार विनियोजित तथा जमा कर सकता है :—

(क) सरकारी बचत खाते में, या

(ख) इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट १८८२ की उपधारा २० में वर्णित किसी प्रतिभूति में, या

(ग) निबन्धक द्वारा अनुमोदित किसी ऐसे बैंक या व्यक्ति जो बैंकिंग का कारोबार करता हो, या

(घ) किसी पंजीकृत सहकारी समिति के अंशों में या प्रतिभूति में, या

(च) नियमों द्वारा अधिकृत किसी अन्य रीति से ।

२२–नियम तथा अधिनियम के अन्तर्गत् दिये गये निर्देशों के अनुसार धारा ५९ के आधार पर संघ की निधियाँ निबन्धक द्वारा अनुमोदित किसी स्थानीय बैंक के चालू खाते में जमा की जा सकती हैं । इस खाते से धन चेकों द्वारा निम्न दो अधिकारियों के हस्ताक्षर से निकाला जायेगा ।

१–सचिव एवं लेखाकार या लेखाधिकारी या अध्यक्ष या कोई संचालक जिसे अध्यक्ष ने अधिकृत किया हो । सचिव अपने स्थान पर हस्ताक्षर करने के लिये संघ के किसी अधिकारी को अधिकृत कर सकता है जिसका पद संयुक्त सचिव से नीचे का न हो ।

(११) संगठन तथा प्रबन्ध

२३–संघ का प्रबन्ध निम्नलिखित में निहित होगा :—

(क) सामान्य निकाय,

(ख) प्रबन्ध कमेटी,

(ग) कार्यकारिणी समिति और उप समितियां,

(घ) सभापति और उपसभापति,

(च) सचिव ।

(क) सामान्य निकाय :

२४–(क) संघ का अन्तिम प्राधिकार उसके सदस्यों के सामान्य निकाय की सामान्य बैठक में निहित होगा, जिसका संगठन अधिनियम तथा नियमों के प्राविधान के अनुसार निम्नप्रकार से किया जाएगा ।

(१) सम्बद्ध समितियों से एक प्रतिनिधि जो सम्बद्ध सीमिति द्वारा इस हेतु अधिकृत किया जाय ।

(२) राज्य सरकार द्वारा मनोनीति व्यक्ति ।

(३) नियम ८४ तथा धारा १८ (ख) के अनुसार सहानुभूतिकर सदस्यों के प्रतिनिधि ।

(ख) संघ की सामान्य निकाय की सदस्यता से किसी एक प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व समाप्त हो जायेगा यदि :—

(क) वह अपनी समिति का सदस्य न रह जाय,

(ख) वह समिति जिसका वह सदस्य है, संघ की सदस्यता से वंचित कर दी जाय, या वह सम्बद्ध समिति जिसने उसको प्रतिनिधि नियुक्त किया हो, सदस्यता से वंचित हो गई हो ।

(ग) प्रतिनिधि का नियुक्त पत्र लिखित होना चाहिये उसका रूपपत्र प्रबन्ध कमेटी द्वारा समय-समय पर निर्धारित के अनुरूप होना चाहिये और संघ के निबन्धित कार्यालय में १५ सितम्बर तक यह नियुक्ति पत्र जिसमें कि प्रतिनिधि का नाम वोट देने के लिये प्रस्तावित हो, जमा कर दिया जाना चाहिये । एक प्रतिनिधि जो संघ की सामान्य निकाय के लिये नियुक्त किया गया हो तब तक चलता रहेगा जब तक वह समिति जिसका वह प्रतिनिधि है, कोई दूसरा प्रतिनिधि उसके स्थान पर नियुक्त न कर दे या वह अधिनियम नियमावली तथा संघ की उपविधियों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार अनर्हता अर्जित न कर ले ।

(घ) यदि वह पदच्युत हो गया हो जिसके आधार पर वह संघ का प्रतिनिधि समिति की उपविधियों के अनुसार चुना गया था ।

(च) समिति, जिसका वह प्रतिनिधि था, धारा ७२ के अन्तर्गत समाप्त कर दी गई हो ।

(छ) उसने प्रतिनिधि के पद से त्याग पत्र दे दिया हो ।

(ज) वह धारा ३५ के अधीन निबन्धक द्वारा नियुक्त कमेटी प्रशासक या प्रशासकों द्वारा वापस बुला लिया जाय ।

(झ) वह समिति जिसका वह प्रतिनिधि है या तो एक दूसरी समिति में मिल गई हो या एक या एक से अधिक समितियों में विभक्त हो गई हो ।

(ग) सामान्य निकाय अधिनियम, नियमों तथा संघ की उपविधियों के प्राविधानों के अनुसार :—

(क) विशेष साधारण सभा सामान्य निकाय के सदस्यों के १/५ सदस्यों या २५ प्रतिनिधियों (जो भी कम हों)

के माँग-पत्र प्राप्त होने पर या निबन्धक या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के अनुरोध पर, प्रबन्ध कमेटी द्वारा बुलाई जायेगी।

(ख) साधारण सभा के सम्बन्ध में (चाहे वह साधारण या विशेष हो) सभा का एजेण्डा जिसमें सभा की तिथि, स्थान तथा समय अंकित होगा सामान्य निकाय के समस्त सदस्यों को तथा उसकी एक प्रतिलिपि निबन्धक को भेज दी जायेगी। एजेण्डा सूचना की एक प्रति निर्गमन की तिथि पर संघ के सूचना पट पर भी चिपका दी जायेगी परन्तु ऐसी वार्षिक सामान्य बैठक जिसमें निर्वाचन होना हो कम से कम १५ दिन का नोटिस देना आवश्यक होगा।

(ग) सामान्य निकाय के किसी भी कार्य को निपटाने के लिये (विशेष साधारण सभा उपविधि २४ (ग) के अन्तर्गत के अतिरिक्त) कम से कम १/५ या २५ प्रतिनिधियों की उपस्थिति, जो भी कम हो, आवश्यक होगी। वोटों के बहुमत के आधार पर समस्त विषयों का निर्णय सामान्य निकाय के सम्मुख होगा परन्तु उपविधियों के संशोधन पर यह लागू नहीं होगा।

(घ) अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सामान्य निकाय की सभा की अध्यक्षता करेगा यदि सभापति तथा उप-सभापति दोनों अनुपस्थित हों तो उपस्थित सामान्य निकाय के सदस्य अपने में से एक व्यक्ति का चुनाव करेंगे जो सभा की अध्यक्षता करेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि सभापति या उप सभापित सहित कोई व्यक्ति ऐसी बैठक की अध्यक्षता उस दशा में नहीं करेगा जब ऐसे विषयों पर चर्चा की जानी हो जिसमें उसका व्यक्तिगत हित हो। सभा का अध्यक्ष, मतों के समान होने की स्थिति में, एक अतिरिक्त मत देने

का अधिकारी होगा बशर्ते कि यदि किसी प्रत्याशी के चुनाव का विषय हो तो ऐसी दशा में इस विषय का निर्णय पर्ची डालकर किया जायेगा।

(च) सामान्य निकाय की बैठकों में निबन्धक या उनके द्वारा नामांकित कोई व्यक्ति भाग ले सकता है, वह मीटिंग को सम्बोधित कर सकता है या सभा के सम्मुख उपस्थित किसी विचारणीय विषय पर राय दे सकता है परन्तु किसी प्रति-निधि के सम्बन्ध में जो चुनाव लड़ना चाहता हो ऐसी राय नहीं दी जा सकती।

(छ) यदि साधारण सभा के निश्चित समय से एक घटे के भीतर वांछित कोरम पूरा नहीं होता तो यह साधारण सभा यदि सदस्यों की मांग पर बुलाई गई हो समाप्त समझी जायेगी परन्तु अन्य दूसरे मामलों में यह साधारण सभा दूसरे सप्ताह के उसी दिन, समय और स्थान के लिए स्थगित हो जाएगी और इस स्थगित सभा में यदि कोरम निश्चित समय से एक घंटा उपरान्त तक पूर्ण नहीं होता तो उपस्थित सदस्यों का ही कोरम पूरा माना जायेगा। यदि बैठक निबन्धक के अनुरोध पर बुलाई गई हो और कोरम निश्चित समय से एक घंटा उपरान्त तक पूर्ण नहीं होता तो उपस्थित सदस्यों का ही कोरम पूरा माना जायेगा। यदि बैठक निबन्धक के अनुरोध पर बुलाई गई हो और कोरम निश्चित समय से आधे घण्टे के भीतर पूरा न हुआ हो तो बैठक इन उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार स्थगित की जा सकती है। कोई भी निर्णय स्थगित सभा में नहीं लिया जायेगा सिवाय उस अपूर्ण विषय के जिसके लिये यह सभा स्थगित कर दी गई थी कोरम का प्रतिबन्ध विशेष साधारण सभा में में उपविधियों के संशोधन के लिये उपविधि २७ द्वारा नियंत्रित होगा।

(ज) यदि कोई प्रतिनिधि सामान्य निकाय के सम्मुख कोई प्रस्ताव रखना चाहता है तो वह उसकी सूचना लिखित रूप से सचिव को एक सप्ताह पूर्व सभा की निश्चित तिथि से देगा। सभापति विशेष परिस्थिति में सचिव के परामर्श से समय को कम कर सकता है।

(झ) सभा के विषयों को एजेण्डे में उल्लिखित क्रम के अनुसार विचार हेतु रखा जायेगा जब तक कि अध्यक्ष उपस्थित सदस्यों के बहुमत से उस आदेश में जो कि अधिनियम, नियमावली तथा उपविधियों के अनुरूप हो, बदलने की अनुमति न दे दे।

(त) प्रबन्ध कमेटी के सदस्य, सभापति, उपसभापति और संघ के अन्य अधिकारी, जो अधिनियम और नियमावली प्राविधानों के अनुसार हों, के अतिरिक्त का चुनाव हाथ उठाकर होगा।

(थ) संघ के सांमान्य निकाय या प्रबन्ध कमेटी या कार्यकारिणी समिति की बैठक नियमों के प्राविधानों और प्रतिबन्धों के अन्तर्गत होगी।

स्पष्टीकरण :

कार्यकारिणी समिति से तात्पर्य उस समिति से भी होगा जिसे प्रबन्ध कमेटी ने निर्मित किया हो और अपने समस्त या कुछ अधिकार और कर्तव्य सौंपे हों।

२५–सामान्य निकाय के अधिकार एवं दायित्व अधिनियम तथा नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप निम्न होंगे :—

(१) प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का चुनाव या उन्हें निकालना।

(२) प्रबन्ध कमेटी से पिछले वर्षों के कार्यों की आख्या के साथ नक्शे मांगना जिनमें वर्ष का आय व्यय पूँजी, दायित्व व्यापारिक खाता तथा लाभ हानि खाता आदि हों।

(३) निबन्धक या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी के निरीक्षण पत्रों पर्यवेक्षण प्रतिवेदनों या निबन्धक के अन्य आदेशों पर विचार करना तथा प्रबन्ध कमेटी से उन पर आख्या प्राप्त करना।

(४) अधिनियम, नियमावली तथा इन उपविधियों के अनुरूप लाभ के वितरण पर विचार करना।

(५) आगामी वर्ष के लिये तथा चालू वर्ष के अवशेष भाग के लिये बजट स्वीकृत करना तथा कार्यों का निर्धारण करना।

(६) प्रबन्ध कमेटी के मार्गदर्शन के लिये साधारण नीति बनाना जिसके अनुसार संघ का व्यापार तथा अन्य कार्य किये जा सकें। और जिससे सम्बद्ध समितियों को लाभ हो सके।

(७) संघ के कार्यान्वयन के लिये प्रगति-वर्धक कार्यों की सीमा और स्वरूप निर्धारण करना और अन्य सहायता कार्यक्रम सम्बद्ध समितियों के लिये करना।

(८) आगामी वर्ष के लिये अधिकतम दायित्व की सीमा जो संघ निबन्धक की स्वीकृति के उपरान्त प्राप्त कर सके, निर्धारित करना।

(९) निबन्धक की स्वीकृति से तथा उपविधि संख्या २७ के प्राविधान के अनुसार उपविधियों में संशोधन करना।

(१०) निबन्धक की स्वीकृति से अधिकारियों के चुनाव के लिए विनियम बनाना।

(११) प्रबन्ध कमेटी को अधिकृत करना कि वह अपने किसी अधिकार को संघ के सचिव या किसी अन्य अधिकारी को हस्तांतरित कर सके परन्तु ऐसा करने में सामान्य निकाय द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों और शर्तों का ध्यान रखा जाय।

(१२) किसी अन्य विषय पर विचार करना।

२६–सामान्य निकाय की बैठक में समस्त विषयों पर हुए विवाद या निर्णय सचिव द्वारा कार्यवाही पुस्तिका पर लिखे जायेंगे और सभा

के अध्यक्ष उस पर हस्ताक्षर करेंगे । उपस्थित सदस्य भी कार्यवाही पुस्तिका पर, यदि वे चाहें या यदि अध्यक्ष उनसे ऐसा करने के लिये प्रार्थना करें, तो हस्ताक्षर कर सकते हैं ।

उपविधियों में संशोधन :—

२७—एक ऐसी विशेष साधारण सभा की बैंठक में जो विशेषतय: इसी उद्देश्य के लिए बुलाई गई हो, बहुमत द्वारा जो उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई से कम न हों, के द्वारा किया जायेगा । सामान्य निकाय के समस्त सदस्यों की संख्या के कम से कम १/३ सदस्य ऐसी बैठक के लिये कोरम को पूरा करेंगे । यदि आवश्यक कोरम एक बैठक में पर्याप्त नहीं होता, तो निबन्धक संघ को निर्दिष्ट कर सकता है कि संघ एक दूसरी बैठक बुलाये जिसमें वांछित कोरम की संख्या घट कर १/५ हो जायेगी और उसी समय सदस्यों को इस सूचना से अवगत करा दिया जाय ।

प्रबन्ध कमेटी :

२८—प्रबन्ध कमेटी में १५ (पन्द्रह) सदस्य होंगे जिनका निर्वाचन निम्न-प्रकार से होगा :—

(क) अधिनियम तथा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार ११ (ग्यारह) चुने हुए सदस्य जिनमें अधिक के अधिक एक सदस्य सम्बद्ध जिला सहकारी विकास संघों के प्रतिनिधियों में से होगा तथा जिनमें सभापति और उप सभापति भी सम्मिलित होंगे ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत दो व्यक्ति ।

(ग) प्रबन्ध कमेटी दो सदस्यों को आमेलित करेगी जिनमें से एक स्त्री होगी ।

(घ) सम्बद्ध समिति के प्रतिनिधियों में से एक से अधिक का चुनाव संचालक के पद के लिये नहीं होगा । राज्य सरकार अंश में भागीदार होने के नाते दो व्यक्तियों को प्रबन्ध कमेटी में मनोनयन करेगी जिनमें से एक सहकारी राज्य पत्रित अधिकारी होगा । ओई राज्य अधिकारी नामांकित हो या सघ की प्रबन्ध कमेटी का पदेन सदस्य हो तो वह, संघ के संचालक या पदाधिकारी के चुनाव के मामलों में वोट देने का अधिकारी नहीं होगा ।

(च) प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का चुनाव (पदेन या नामांकित संचालकों के अतिरिक्त) सामान्य निकाय अपने में से ही करेगी ।

(छ) चुने हुये संचालकों का कार्यकाल वार्षिक साधारण सभा की होने की तिथि से ३ वर्ष का होगा । यदि, जिस वर्ष संचालकों के कार्य काल की अवधि समाप्त हो रही हो, उस वर्ष वार्षिक साधारण सभा की बैठक न हुई हो, निबन्धक या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति साधारण वार्षिक बैठक बुला सकता है और संचालकों का चुनाव करा सकता है । निवृत्त होने वाले सदस्य पुन: चुनाव के लिए योग्य होंगे ।

नाम निर्दिष्ट संचालक का कार्यकाल :

नाम निर्दिष्ट कोई सँचालक नियमों और अधिनियम के आधीन निर्दिष्ट प्राधिकारी के प्रशाद पर्यन्त पदासीन रहेगा ।

चुनाव के बाद यदि कोई स्थान रिक्त होता है तो प्रबन्ध कमेटी एक ऐसे सदस्य को जिसमें विशिष्ट योग्यतायें हों, को आमेलित करके स्थान की पूर्ति कर सकती है । इस प्रकार का आमेलन आगामी वार्षिक साधारण सभा तक मान्य रहेगा और वार्षिक साधारण सभा में इस रिक्त स्थान की पूर्ति चुनाव कराकर की जायेगी । ऐसे रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु चुने हुए सदस्य को तभी निवृत्त समझा जायेगा जब कि वह सदस्य निवृत्त होता, जिस स्थान पर उसका चुनाव हुआ है ।

(ज) प्रबन्ध कमेटी की बैठकें कम से कम ३ महीने में एक बार होंगी और आवश्यकतानुसार कितनी भी और कभी भी बुलाई जा सकती हैं । सभापति किसी समय ऐसी बैठक

बुला सकता है और निबन्धक या उनके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति या प्रबन्ध कमेटी के ३ सदस्यों के अधियाचन के प्राप्त होने पर भी बुलाई जा सकती है।

१–बैठक की सूचना प्रबन्ध कमेटी के प्रत्येक प्रतिनिधि को बैठक की तिथि से कम से कम ७ दिन पहले भेजी जाएगी जिसमें स्पष्टत. बैठक की तिथि, समय और स्थान अंकित होगा और एक प्रतिवेदन जिसमें की जानेवाली कार्यवाहियों का पूर्ण विवरण होगा, भी भेजा जायेगा।

२–संघ का सभापति यदि उपस्थित हो तो समस्त बैठकों की अध्वक्षता करेगा। सभापति की अनुपस्थिति में उप सभापति अध्क्षता करेंगे और यदि उपसभापति भी अनुपस्थित हों तो उपस्थित संचालक अपने में से एक का चुनाव करेंगे जो सभा की अध्यक्षता करेगा।

३–संचालकों की समस्त संख्या, जिनमें कम से कम २ चुने हुए संचालक होंगे का कम से कम १/३ ऐसी सभा का कोरम होगा।

४–सभा में प्रत्येक प्रस्ताव का निर्णय मतों की अधिकता के के आधार पर होगा और यदि मत बराबर होते हैं तो अध्यक्ष को एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार होगा। परन्तु किसी पदाधिकारी का चुनाव हो तो ऐसी दशा में इस विषय को पर्ची डालकर निर्णय लिया जायेगा।

५–प्रत्येक बैठक में उपस्थित संचालक कार्यवाही पुस्तिका में अपने नाम के सामने हस्ताक्षर करेंगे।

६–प्रबन्ध कमेटी की बैठक, चाहे वह निबन्धक के अधियाचन पर बुलाई गई हो या नहीं, निबन्धक या उनके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति भाग ले सकता है तथा अपना सम्बोधन या परामर्श ऐसे विषयों पर दे सकता है जो सभा के सम्मुख विचारणीय हो।

७–संघ के किसी अधिकारी का सिवाय संघ की उपविधियों द्वारा की गई अनुज्ञा के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से :—

(क) संघ के साथ की गई किसी सम्बिदा में।

(ख) संघ द्वारा क्रय या विक्रय की गई सम्पति में।

(ग) संघ के किसी वैतनिक कर्मचारी के लिए यदि अधिकारी स्वयं वैतनिक कर्मचारी हो, संघ द्वारा निवास स्थान की व्यवस्था से भिन्न, संघ के किसी व्यौहार में कोई हित नहीं होगा।

२९–कोई व्यक्ति प्रबन्ध कमेटी की सदस्यता के चुनाव के योग्य नहीं होगा यदि :—

(१) उसकी आयु २१ वर्ष से कम हो।

(२) वह दिवालिया घोषित कर दिया गया हो।

(३) वह विकृत चित्त, बहरा, गूंगा, अन्धा अथवा कोढ़ से पीड़ित हो।

(४) वह निबन्धक की राय में नैतिक पतन सम्बन्धित किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और ऐसा दण्ड अपील में रद्द न किया गया हो।

(५) वह या उसका निकट सम्बन्धी संघ के अधीन अथवा संघ से सम्बद्ध किसी समिति के अधीन कोई लाभ का पद धारण किए हो।

(६) वह बिना पर्याप्त कारण के अपनी समिति का बकायादार हो या जिस समिति का वह प्रतिनिधि हो, वह समिति विगत ३० जून से संघ की बकायादार हो।

(७) वह या निबन्धक की राय में, उसके परिवार का कोई सदस्य निबन्धक की अनुज्ञा के बिना, समिति के कार्यक्षेत्र के भीतर उसी प्रकार का कारोबार शुरू करे, या करता हो जैसा समिति करती हो।

(८) वह अधिनियम, नियमों तथा संघ की उपविधियों के प्राविधानों के विपरीत संघ से कोई ऐसा लेन-देन या संविदा करें ।

(९) वह अधिनियम, नियमों तथा संघ की उपविधियों के प्राविधानों के प्रतिकूल सघ में कोई लाभ का पद ग्रहण करे ।

(१०) वह संघ के सामान्य निकाय का सदस्य न हो ।

(११) वह अधिनियम तथा नियमों के अधीन किसी अपराध में दण्डित किया गया हो और दण्ड की तिथि से ३ वर्ष का समय व्यतीत न हुआ हो ।

(१२) वह नियम ४५३(१) (ठ) के प्रतिबन्धों के अधीन कमेंटी की सदस्यता के लिए योग्य न हो ।

(१३) वह सहकारी सेवा या किसी समिति अथवा निगमित निकाय से कपट दुराचरण, अनुचित कार्य करने के लिए पदच्युत किया गया हो और पदच्युत का ऐसा आदेश अपील में रद्द न किया गया हो ।

(१४) अधिनियम, नियमों तथा संघ की उपविधियों के प्राविधानों के अन्तर्गत वह किसी अन्य प्रकार से योग्यता न रखता हो ।

३०–प्रवन्धक कमेटी का सदस्य अपने पद से पृथक हो जायेगा यदि—

(१) जिस सम्बद्ध समिति का वह प्रतिनिधि है की सदस्यता से वंचित कर दिया जाय या सम्बद्ध समिति की सदस्यता समाप्त हो जाय, जिस समिति का वह प्रतिनिधि है या सम्बद्ध समिति जिसका वह प्रतिनिधि है संघ की सदस्यता से वंचित हो जाय ।

(२) वह दीवालियापन के लिए प्रार्थना करे या वह दीवालिया घोषित कर दिया जाय या जिस समिति का वह प्रतिनिधि है विघटित हो गई हो ।

(३) वह विकृत चित्त का हो ।

(४) वह निबन्धक की राय में नैतिक पतन सम्बन्धी किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो ।

(५) वह त्याग पत्र दे दे और उसका त्याग पत्र प्रबन्ध कमेटी स्वीकृत कर ले ।

(६) वह बिना किसी उचित कारण के प्रबन्ध कमेटी की राय में लगातार ३ (तीन) प्रबन्ध कमेटी की बैठकों में अनुपस्थित रहा हो ।

(७) वह या उसका निकट सम्बन्धी संघ के अधीन या संघ से सम्बद्ध किसी समिति के अधीन कोई लाभ का पद धारण किये हुये हो ।

(८) उपरोक्त उपविधि संख्या १ से ६ के अनुसार उसने या वह समिति जिसका वह प्रतिनिधि है कोई अनहर्ता अर्जित कर ली हो ।

नोट :—संचालक या संचालक पद के लिए किसी सदस्य के निकट सम्बन्धी के सम्बन्ध में यदि कोई शंका उत्पन्न हो जाय तो इसका निपटारा नियम संख्या २ (प) के अनुसार होगा ।

३१–प्रबन्ध कमेटी संघ के समस्त कर्तव्यों एवं अधिकारों का प्रयोग सिवाय उनके जो सामान्य निकाय विशेषकर सुरक्षित कर रखे हों या इन उपविधियों या सघ के सामान्य निकाय से उपबन्धित तथा प्रतिबन्ध करा रखें हों, करेगी । मुख्यतः प्रबन्ध कमेटी के निम्न अधिकार एव कर्तव्य होंगे :—

(१) नये सदस्यों को भर्ती करना, निधियों को बढ़ाना और विनियोजित करना । सघ के समस्त लेन-देन की निगरानी करना, अधिनियम, नियमावली तथा इन उपविधियों तथा निबन्धक के निर्देशों को यदि कोई हो, का अनुपालन करना ।

(२) धन की समस्त आय और व्यय के सत्य और सही लेखे रखना और स्कंध के क्रय एवं विक्रय तथा सदस्यों के रजिस्टर को तारीख सही रखना ।

(३) जब कभी आवश्यक हो सदस्यों से चन्दा वसूलना।

(४) संघ की सम्पत्ति एवं दायित्व का सही लेखा रखना।

(५) सामान्य निकाय के सम्मुख आय व्यय का खाता, वार्षिक व्यापारिक खाता, लेखा सन्तुलन, कार्यों का विवरण तथा आगामी वर्ष के बजट को बना कर रखना।

(६) लेखा जोखा को तैयार कराने की निगरानी करना, आकस्मिक व्यय, जो सचिव कर सके, को सीमा निश्चित करना।

(७) सम्प्रेक्षण प्रतिवेदनों तथा विभागीय अधिकारियों के निरीक्षण पत्रों पर विचार करना तथा उन पर आवश्यक कार्यवाही करना।

(८) अंशों को निर्गमन एवं हस्तांतरण करना।

(९) अंशों की किस्तों और चन्दों के अवशेष की वसूली का प्रबन्ध करना।

(१०) इन उपविधियों के अनुसार सामान्य निकाय की बैठकें बुलाना।

(११) इन उपविधियों के प्राविधानों के अनुसार तथा निबन्धक या सामान्य निकाय द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों के अनुसार, ऋण लेना।

(१२) ऋण प्राप्त करने के लिये शर्तें बनाना तथा अवधि की सीमा निश्चित करना तथा ऋणों एवं अग्रिमों के भुगतान का भी प्रबन्ध करना।

(१३) संघ के लिए वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्त करना, दंड देना तथा सेवा निवृत्ति करना परन्तु यह कार्यवाहियां निबन्धक के निर्देश यदि कोई दिये गये हों, के अनुसार हों। निबन्धक के अनुमोदन के अनुसार तथा उक्त प्राविधानों के अनुसार सेवा विनिमय बनाना।

(१४) सम्बद्ध समितियों की सम्मति से उनके लिये प्रबन्धकीय कर्मचारियों का एक सम्वर्ग स्थापित करना।

(१५) सचिव या किसी दूसरे अन्य व्यक्ति द्वारा जो इस हेतु अधिकृत हों, संघ की तरफ से या उनके विपरीत संघ, प्रबन्ध कमेटी या किसी संघ के कार्यकर्ता जिनसे संघ के व्यापार का सम्बन्ध हो, के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही स्थापित करना, संचालित करना, प्रतिवाद करना या समझौता कराना या कानूनी कार्यवाहियों को त्यागना।

(१६) किसी दूसरी अन्य सहकारी समिति या सहकारी समितियों में सामान्य निकाय की पूर्व अनुमति तथा निबन्धक के निर्देश यदि कोई इस विषय पर हों, के अनुसार अंश क्रय करना।

(१७) संघ के व्यापार को नियंत्रित तथा निर्देशित करना। सामान्य निकाय के इस सम्बन्ध में यदि कोई निर्देश हों तो उन्हें पालन करना तथा सम्बन्ध समितियों को जहां तक सम्भव हो, इस सम्बन्ध में मार्ग दर्शन करना तथा सहायता करना।

(१८) अपने में से एक सभापति, एक उपसभापति, एक कार्यकारिणी समिति और उप समितियों का चुनाव कराना और जैसा नियमों तथा उपविधियों में प्राविधान हो दो सदस्यों को आमेलन कराना।

(१९) संघ के व्यापार संचालन हेतु गोदाम निर्माण करना, क्रय करना, किराये पर या अन्य प्रकार से लेना। इसी प्रकार ट्रक मशीनरी या अन्य सम्पत्ति, जो व्यापार चलाने के लिये आवश्यक प्रतीत हो, को प्राप्त करना और इस हेतु संविदा करना।

(२०) सम्बद्ध थोक भंडारों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना तथा विज्ञापन तथा विज्ञप्ति द्वारा शिक्षा अभियानों का संगठन करना।

(२१) जहां आवश्यक और सम्भव हो खाद्य पदार्थों को उपार्जन करने की योजना बनाना और उनको गोदामों में रखने तथा वितरण के साथ ही साथ प्रक्रिय तथा निर्माण का प्रबन्ध करना।

(२२) निबन्धक को पूर्व अनुमति से ऐसे अन्य कार्य करना जो संघ के प्रबन्ध के लिये आवश्यक हो तथा निबन्धक के निर्देशों के अनुरूप हो।

३२–कार्यकारिणी समिति

(१) कार्यकारिणी समिति के सदस्य सभापति, उप सभापति तथा प्रबन्ध कमेटी के ३ सदस्य होंगे।

(२) कार्यकारिणी समिति की बैठकें संघ के व्यापार के आवश्यकतानुसार समय-समय पर हुआ करेंगी परन्तु सभापति द्वारा निश्चित की हुई तिथि से ऐसी बैठकों का समय किसी भी दशा में दो माह से अधिक न होगा। ऐसी बैठकों के लिये सात दिन की नोटिस आवश्यक होगी परन्तु आपत्तिजनक दशा में ५ दिन की सूचना पर्याप्त होगी। कोरम ३ सदस्यों का होगा।

(३) प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों में से उप सीमितियों का निर्माण किया जाएगा जो संघ को किसी विशेष योजना को उचित रूप से चलाने के लिये पर्यवेक्षण, सहयोग और मार्ग दर्शन करेगी। ऐसी समस्त उप समितियों का सभापतित्व अध्यक्ष करेगा।

३३–कार्यकारिणी समिति को प्रबन्ध कमेटी द्वारा प्रदत्त अधिकार एवं कर्तव्य प्राप्त होंगे परन्तु प्रबन्ध कमेटी के अधिकार जिनका प्राविधान इन उपविधियों की संख्या ३१ (२) (१०) (१३) (१४) तथा (१८) में किया गया है, को प्रदत्त नहीं किया जायेगा।

३४–सभापति और उपसभापति

सभापति और उपसभापति कार्यकाल तीन वर्ष का होगा जो नियमावली तथा उपविधियों में प्राप्त समस्त अधिकारों तथा दायित्वों का प्रयोग करेंगे।

३५–सभापति संघ का मुख्य नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण कर्ता अधिकारी होगा तथा संकटकालीन स्थितियों में निबन्धक की पूर्ण अनुमति से प्रबन्ध कमेटी तथा कार्यकारिणी समिति को प्राप्त समस्त अधिकारों का प्रयोग करेगा। संघ के समस्त अधिकारियों एवम् कर्मचारियों पर उसका पूर्ण नियन्त्रण होगा।

३६–सचिव

संघ का सचिव निबन्धक द्वारा मनोनीत सरकारी विभाग का एक अधिकारी होगा। वह संघ का मुख्य अधिशासी अधिकारी होगा। निबन्धक अतिरिक्त या संयुक्त सचिव का मनोनयन सचिव को सहायता करने के लिये कर सकता है।

३७–सचिव के निम्नलिखित कर्तव्य तथा दायित्व होंगे:—

(१) (क) इन उपविधियों, सामान्य निकाय या प्रबन्ध कमेटी का कार्यकारिणी समिति के प्रस्तावों के प्राविधानों के अनुसार संघ के व्यापार का सामान्यतः पर्यवेक्षण तथा संचालन करना।

(ख) संघ के व्यापार का सुसंगठित प्रबन्ध करने के लिये और कुशल प्रशासन के लिये, उत्तरदायी होगा।

(२) संघ से सम्बद्ध तथा बकायेदार थोक उपभोक्ता भंडारों के कार्यों का निरीक्षण करना। सचिव निरीक्षण पत्रों की एक प्रतिलिपि अपने सुझावों के साथ भण्डार, जिसका निरीक्षण किया है, को भेजेगा तथा निरीक्षण पत्र की एक प्रति निबन्धक को तथा एक प्रति संघ के अध्यक्ष को भी भेजेगा।

(३) पत्र व्यवहार में संघ की ओर से समस्त कागजों पर हस्ताक्षर करेगा।

(४) उसे अधिकार होगा कि आवश्यकता पड़ने पर संघ के किसी वैतनिक अधिकारी एवं कर्मचारी को अध्यक्ष की अनुमति अथवा आदेश से निलम्बित कर सके।

(५) संघ के लिये समस्त स्कंधों तथा धन को प्राप्त करना और उनके लिए रसीदें देना और प्रबन्ध कमेटी के निर्णयों के अनुसार संघ की निधि से प्रबन्धकीय तथा कार्यरत व्ययों का भुगतान करना।

(६) प्रबन्ध कमेटी तथा कार्यकारिणी समिति के निर्णयों के अनुसार व्यापारिक बातचीत करना और स्कंध के क्रय, विक्रय तथा उचित रूप से भण्डार में रखने तथा सही रख-रखाव का प्रबन्ध करना।

(७) संघ के कार्यों तथा अर्थ सम्बन्धी लेखे जोखों को उचित और सही ढंग से रखना और उन समस्त लेन-देनों का जो क्रय व विक्रय से सम्बन्धित हो, को रखना तथा सदस्यता रजिस्टर तातारीख रखना।

(८) इन उपविधियों के प्राविधानों के अन्तर्गत तथा सभापति के आदेश प्राप्त होने पर सामान्य निकाय, प्रबन्ध कमेटी या कार्यकारिणी समिति की बैठकों को बुलाना।

(९) संघ को सम्पति और हिसाब-किताब के कागजातों को सुरक्षित परिरक्षा में रखने का प्रबन्ध करना तथा उनके सही ढंग से रख-रखाव तथा यदि जहां आवश्यक हो उनका बीमा कराने का प्रबन्ध करना।

(१०) ३०० रुपये की सीमा तक प्रति माह आकस्मिक व्यय करना या एक ऐसी अधिकतम सीमा जो १००० रुपये से अधिक न हो और जिसे प्रबन्ध कमेटी निश्चित करे, तक व्यय करना।

(११) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो प्रबन्ध कमेटी या कार्यकारिणी समिति या अध्यक्ष निर्धारित करे या सौंपे।

(१२) संघ के किसी कर्मचारी को अपने ऐसे अधिकारों तथा कर्तव्यों को सौंपना जो प्रबन्ध कमेटी द्वारा अनुमोदित हों।

(१३) नियम १३० के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुये उस नियम के आधीन कार्य करना।

(१४) संघ की विभिन्न बहियों और अभिलेखों को उचित रूप से रखने और अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों और निबन्धक या राज्य सरकार के अनुदेशों के अनुसार, नियत कालिक विवरण पत्रों और विवर्णियों को शुद्ध रूप से तैयार करने और ठीक समय पर उन्हें प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा।

[illegible]–माल की पूर्ति एवं विक्रय

प्रबन्ध कमेटी द्वारा निर्मित और निबन्धक द्वारा अनुमोदित नियमों के अनुसार संघ अपना व्यापार मुख्यत: सम्बद्ध समितियों की सेवा और हित में करेगा। ऐसे नियमों में असदस्यों से व्यापार करने की अनुमति व उधार बिक्री केवल सम्बद्ध समितियों के उनके द्वारा संघ में खरीदे गये हिस्सों के मूल्य के दो गुना तक की जायेगी,

[illegible]–सचिव कार्यकारिणी समिति या प्रबन्ध कमेटी या अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार संघ के सामानों की थोक दर निश्चित करेगा और ऐसा करते समय वस्तुओं की बाजारी कीमत, क्रय मूल्य तथा आकस्मिक खर्चों का ध्यान रखेगा।

(१३) लाभ का वितरण

[illegible]–(क) संघ के सकल लाभ में से निम्नलिखित मदों को घटाकर वर्ष का शुद्ध लाभ निकाला जायगा :—

१–ब्याज जो दिया गया हो।

२–प्रबन्ध व्यय जो किया गया हो ।

३–क्षति की अन्य मदें ।

(ख) संघ किसी भी सहकारी वर्ष में अपने शुद्ध लाभ में से :—

१–ऐसी धनराशि जो २५ प्रतिशत से कम न हो, एक निधि में संकलित करेगा जो रक्षित निधि कहलायेगी ।

२–नियमों के प्राविधानों के अधीन रहते हुए कम से कम एक प्रतिशत, नियमों द्वारा स्थापित की जाने वाली सहकारी शिक्षा निधि में जमा करेगा ।

(ग) वितरण योग लाभ को निकालने के लिये शुद्ध लाभ के शेष अधिनियम की धारा ५८ को उप धारा (१) के प्राविधानों के अन्तर्गत उपरोक्त उपविधि (ख) में दी गई मदों के निकालने के पश्चात, में निम्नलिखित को निकाल दिया जायेगा ।

१–सभी ब्याज जो अति देय हों ।

२–सभी अर्जित ब्याज किन्तु जो ऐसे सदस्यों से जिनसे ब्याज अधिदेय हो, कम न हो ।

३–ऐसी उधार बिक्री पर जिसकी वसूली अतिदेय हो, अर्जित कमीशन या लाभ सीमा ।

इस प्रकार निकाले गये शेष वितरण योग लाभ को निम्न प्रकार से वितरित किया जायगा :–

१–सदस्यों को उनकी दत्त अंशपूंजी पर ९ प्रतिशत अनाधिक दर से लाभांश का भुगतान

२–सदस्यों को बोनस भुगतान करने में जिसकी दर सामान्य निकाय नियम, अधिनियम के अनुसार निश्चित करेगी ।

३–अशोध्य ऋण निधि में १० प्रतिशत तक उस अवशेष लाभ पर होगा जो रक्षित निधि में डालने के बाद शेष बचा हो ।

४–चेरीटेबुल इन्डाउन्मेन्ट ऐक्ट १८९० की धारा २ (क) में परिभाषित उद्देश्यों के लिये अधिक से अधिक ५ प्रतिशत धन किसी दान के हेतु चंदा दिया जा सकता है ।

५–किसी अन्य कोष में जैसे भवन निधि, सामान्य हित कोष, अंश हस्तांतरण कोष और घट-बढ़ कोष आदि ।

६–रक्षित कोष को बढ़ाने में ।

७–आगामी सहकारी वर्ष के लाभ में आगे ले जाना ।

४१–प्रबन्ध कमेटी द्वारा निर्मित तथा निबन्धक द्वारा अनुमोदित विनियमों के अनुसार सदस्य समितियों को खरीद पर बोनस देना ।

४२–लाभ का वितरण एवं प्रति भाजन वार्षिक लेखों के सम्प्रेक्षण होने के उपरान्त ही किया जायेगा । लाभांश का वितरण केवल अर्जित शुद्ध लाभ जो सम्प्रेक्षकों द्वारा प्रमाणित होगा, से ही किया जायेगा ।

१४-रक्षित कोष

४३–नियम १७० के अधीन रक्षित कोष अभिभाज्य होगा और किसी सदस्य का उसके किसी भाग पर कोई अधिकार न होगा संघ की रक्षितनिधि तथा अन्य निधि को निबन्धक की स्वीकृति से नियम १७१ में उल्लिखित एक या अधिक प्रकार से विनियोजित किया जायेगा ।

१५–लेखा-जोखा की पुस्तक एवं रजिस्टर

४४–नियम १६४ के उपखण्ड १ तथा उप-विधियों के प्राविधान के अनुसार या प्रबन्ध कमेटी के अनुसार सचिव द्वारा या उसके परिवेक्षण में हिसाब-किताब के रजिस्टर और अन्य लेखे आवश्यकतानुसार रखे जायेंगे ।

१६–भत्ते या मानदेय

४५–प्रबन्ध कमेटी के किसी सदस्य, सभापति या उप-सभापति या संघ के किसी अन्य अधिकारी को भत्ता (यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता) नियमों के उपबन्धों के अधीन सामान्य निकाय द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

४६–अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का हटाया जाना। इस उद्देश्य का प्राविधान जो अधिनियम तथा नियमों में हो, के अनुसार, संघ के सभापति या उप-सभापति को प्रबन्ध कमेटी में पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है।

१७–लेखा-परीक्षा

४७–(क) प्रबन्ध कमेटी आन्तरिक सम्प्रेक्षण या जाँच, जैसा वह उचित समझे और निबन्धक के निर्देशों या अनुमोदनों के अनुसार, करायेगी।

(ख) लेखा-परीक्षा :–संघ के लेखों की परीक्षा प्रत्येक सहकारी वर्ष में कम से कम एक बार अधिनियम की धारा ६४ तथा नियमों के अनुसार निबन्धक अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

१८–विवादों का निपटारा

४८–संघ के संगठन, प्रबन्ध अथवा कार्य के सम्बन्ध में विवाद जो संघ के उद्देश्यों से सम्बन्धित हों, निबन्धक को भेजे जायेंगे। निबन्धक इन झगड़ों का स्वयं निपटारा करेंगे या उन्हें अधिनियम तथा नियमों के प्राविधान के अनुसार सालिसी कार्यवाही के लिये भेज देंगे।

४९–विघटन : अधिनियम की धारा ७२ तथा नियमों के प्राविधान के अनुसार संघ का विघटन किया जा सकता है।

५०–विविध (१) उपविधियों में अप्रदिष्ट समस्त विषयों का निपटारा अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों के अनुसार होगा और यदि नियमों तथा अधिनियम में उनका प्राविधान न हो और वह इन विषयों से सम्बन्धित हों, तो ऐसे विषयों का निपटारा निबन्धक द्वारा निर्देशित ढंग से होगा। यदि इन उपविधियों की व्याख्या करने में किसी प्रकार की शंका उत्पन्न हो जाय तो कार्यकारिणी समिति, प्रबन्ध कमेटी या सामान्य निकाय ऐसे विषयों को निबन्धक के पास भेजेगी और निबन्धक की राय ही मान्य होगी।

(२) प्रबन्ध कमेटी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा तैयार की हुई संघ की बहियों की प्रविष्टियों की प्रतिलिपियाँ यथा प्रमाणित समझी जायेंगी यदि उन पर उसके हस्ताक्षर सभापति या सचिव द्वारा ठीक प्रमाणित कर दी जाय। प्रबन्ध कमेटी ऐसी प्रमाणित प्रतियों के जारी करने के लिये शुल्क निर्धारित करेगी।

(३) संघ का कोई सदस्य, कार्यालय के घंटों में किसी समय संघ सचिव को प्रार्थना-पत्र देकर और प्रबन्ध कमेटी द्वारा निश्चित शुल्क देकर या तो स्वयं अथवा किसी एजेन्ट द्वारा जो संघ का सदस्य होगा और तदर्थरूप में यथाविधि प्राधिकृत होगा, संघ के लेखे तथा अभिलेखों का केवल उतना निरीक्षण कर सकता है, जहाँ तक उनका सम्बन्ध संघ के साथ सदस्य के व्यवहारों का होगा।

१९–अंशदायी भविष्य निधि

५१–संघ अपने कर्मचारियों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्रविडेन्ट फण्ड) की स्थापना करेगा जिसकी व्यवस्था तथा अंशदान अधिनियम की धारा ६३ तथा नियमों २०१, २०२, २०३ व २०४ के अधीन होगी।

२०–पुनर्वित उपविधियों के निबन्धन के पश्चात् सामान्य निकाय की बैठक

५२–(क) इन उपविधियों के निबन्धन के दिनांक से ९० दिन के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जिसके लिये निबन्धक द्वारा लिखित रूप से अनुज्ञा दी जाय, अधिनियम की धारा १३१ की उप धारा ७ के अधीन प्रबन्ध कमेटी संगठित करने के लिये एक सामान्य निकाय की बैठक करेगा, जिसके लिये कम से कम ४५ दिन का नोटिस देगा, जिसमें बैठक का दिनांक, समय स्थान और कार्य-सूची (एजेण्डा) उल्लिखित होगी।

(ख) उक्त उल्लिखित सामान्य निकाय की बैठक उन सहकारी वर्षों के लिये, वार्षिक सामान्य बैठक समझी जायेगी, जिनकी सामान्य वार्षिक बैठक नहीं हुई है। उक्त बैठक में निम्न कार्य सम्पादित किये जायेंगे :—

अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में

१–बैठक की अध्यक्षता करने के लिए व्यक्ति का निर्वाचन, (निर्वाचन हाथ उठाकर होगा)

२–पिछले सहकारी वर्ष/वर्षों के रोकड़ पत्र (बैलेन्सशीट और वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार, जिनका लेखा परीक्षण समाप्त हो गया है।

३–नियम ९४ के अधीन, पिछले सहकारी वर्षों का लेखा प्रमाण-पत्र और परीक्षण प्रतिवेदन पर विचार।

४–आगामी वर्ष के लिए संघ की अधिकतम दायित्व की सीमा का निर्धारण।

५–गत सहकारी वर्ष/वर्षों के शुद्ध लाभ का वितरण।

६–आगामी सहकारी वर्ष के बजट पर विचार।

७–ऐसे किसी अन्य विषय पर विचार जो उपविधियों के अनुसार उसके समक्ष रक्खा जाय।

८–नियमों और उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन।

२१–निर्वाचन नियम

५३–सामान्य : प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन कार्यसूची के अन्तिम मद के रूप में संघ की वार्षिक सामान्य बैठक में या अधिनियम की धारा २९ की उपधारा (६) में उल्लिखित सामान्य बैठक जैसी भी दशा हो, होगा।

५४–प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन के लिये संघ निबन्धक की पूर्व स्वीकृति से :—

(क) क्षेत्रीय या किसी अन्य युक्तियुक्त आधार पर विभिन्न वर्गों में अपनी सदस्यता विभाजित कर सकता है।

(ख) प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की संख्या अथवा उनका अनुपात भी ऐसी रीति से निर्दिष्ट कर सकता है कि प्रबन्ध कमेटी में, जहाँ तक हो सके, यथा-स्थिति संघ के विभिन्न क्षेत्रों या हितों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व हो सके।

५५–जिस वर्ष संघ के वार्षिक सामान्य बैठक में निर्वाचन किए जाने हों उस वर्ष १५ अक्तूबर के पश्चात् वार्षिक सामान्य बैठक किये जाने तक कोई भी व्यक्ति (नाम मात्र सदस्य को छोड़कर) संघ का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। प्रतिबन्ध यह है कि यदि निबन्धक के नियम ९० के अधीन नियत अवधि के पश्चात् वार्षिक सामान्य बैठक करने की अनुमति दी हो तो ऐसी वार्षिक सामान्य बैठक के लिए निश्चित दिनांक के ६० दिन पूर्व तक सदस्य बनाये जा सकेंगे।

५६–वार्षिक सामान्य बैठक का सभापतित्व सभापति या उसकी अनुपस्थिति में उप सभापति करेगा। सभापति उपसभापति दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य सामान्य निकाय के किसी अन्य सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिये चुन सकते हैं।

५७–गणपूर्ति न होने या उपविधियों में व्यवस्थित किसी अन्य कारण से स्थगित वार्षिक सामान्य बैठक, मूल बैठक की नोटिस की कार्य सूची में दिये गये समय तथा स्थान पर १६ वें दिन (जिसकी गणना स्थगन के दिनांक को सम्मिलित करके की जायेगी) होगी और कार्य सूची के केवल उन्हीं मदों को लिया जाएगा जो मूल बैठक में रह गये हों।

५८–आगे दिये गये प्राविधानों के अधीन तैयार की गई मतदाता सूची और वैध नाम निर्देशन पत्रों की अन्तिम सूची स्थगित बैठक में निर्वाचन के लिए भी लागू होगी।

५९–सचिव के प्रार्थना पत्र तथा निबन्धक के अनुरोध पर जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए कोई राजपत्रित अधिकारी (ऐसे अधिकारी से भिन्न जो संघ के पर्यवेक्षण अथवा प्रशासन से सम्बद्ध हो) नियुक्त करेगा। निर्वाचन अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह नियमों तथा उपविधियों में निर्धारित रीति से उचित रूप से निर्वाचन कराये और उसका संचालन करे।

६०–प्रबन्ध कमेटी तथा संघ का प्रत्येक अधिकारी निर्वाचन कराने में निर्वाचन अधिकारी को पूरी सहायता देने के लिये बाध्य होगा और ऐसे सभी अभिलेख उपलब्ध करायेंगे जिनको निर्वाचन अधिकारी इस प्रयोजन के लिये अपेक्षा करे।

६१–(क) किसी संगत वर्ष में निर्वाचन के लिए नियम ४१४ के अधीन अभिदिष्ट संघ का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक परिनिरीक्षा अधिकारी होगा :—

प्रतिबन्ध यह है कि केवल राज्य सरकार का कोई ऐसा राज्यपत्रित अधिकारी जो सम्बद्ध समिति के पर्यवेक्षण तथा प्रशासन से सम्बन्धित विभाग का न हो, परिनिरीक्षा अधिकारी नियुक्त किया जायेगा।

(ख) संघ की प्रबन्ध कमेटी, इसके सचिव तथा प्रत्येक अधिकारी परिनिरीक्षा अधिकारी को अपने कर्तव्यों का पालन करने

में ऐसी सहायता तथा ऐसी सूचना देगा जिसकी उसे इस प्रयोजन के लिए आवश्यकता हो।

(ग) संघ का सचिव, नियम ४१० में उल्लखित संघ का सदस्य बनाये जाने के दिनांक के समाप्ति के पश्चात् तुरन्त परिनिरीक्षा अधिकारी को, तीन प्रतियों में एक मतदाता सूची प्रस्तुत करेगा जिस पर उसकी मुहर तथा हस्ताक्षर होंगे।

(घ) परिनिरीक्षा अधिकारी।

(१) सूची को सूचनापट्ट पर और ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर जहाँ वह उचित समझे प्रदर्शित कराएगा, उसके सम्बन्ध में आपत्तियां आमन्त्रित करेगा, ऐसी आपत्तियों का निस्तारण करेगा और ३१ अक्तूबर तक अन्तिम मतदाता सूची तैयार करायेगा।

प्रतिबंध यह है कि निबन्धक उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, उक्त दिनांक को बढ़ाने की अनुमति दे सकता है और उस दशा में मतदाता सूची इस प्रकार बढ़ाये गये दिनांक तक तैयार कर ली जायेगी।

(२) खण्ड (१) में दिए गये कार्यक्रम को और वह रीति निश्चित करेगा जिसके अनुसार कार्यक्रम सचिव द्वारा सदस्यों को सूचित किया जायेगा।

(३) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन तथा ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जो इन नियमों द्वारा उस पर सौंपे जायें अथवा जो उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रासंगिक या आवश्यक हो।

६२–नियम ४१४ में अभिदिष्ट संघ अपने सदस्यों को अपनी वार्षिक सामान्य बैठक करने के लिए अपनी उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार बैठक के दिनांक, समय तथा स्थान के बारे में कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व नोटिस देगा।

प्रतिबन्ध यह है कि बैठक का स्थान संघ के कार्यालय या कोई ऐसा सार्वजनिक स्थान होगा जो यथासम्भव संघ के कार्यालय के निकट हो और जो प्रबन्ध कमेटी द्वारा निश्चित किया गया हो।

बैठक की कार्य सूची के साथ नियम ४१६ (क) तथा इस उप-विधि की धारा २१ निर्वाचन नियम सामान्य ६१ (घ) में अभिदिष्ट परिनिरीक्षा अधिकारी का नाम और पता तथा नियम ४१८ में अभिदिष्ट निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम जिसका उल्लेख आगे किया गया है, भी होगा :–

६३–परिनिरीक्षा अधिकारी–

(१) संघ की मतदाता सूची को अपनी मुहर तथा हस्ताक्षर से अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात् शीघ्र संघ के सूचना पट (नोटिस बोर्ड) पर प्रदर्शित कराएगा।

उक्त सूची किसी भी सदस्य को निरीक्षण के लिए, संघ के कार्यालय में, कार्य समय में, निःशुल्क उपलब्ध करेगी। सूची की एक प्रतिलिपि जिला सहायक निबन्धक लखनऊ के कार्यालय में दाखिल की जाएगी।

(२) निम्नलिखित के लिये दिनांक निश्चित करेगा :–

(क) नाम निर्देशन प्रस्तुत करना,

(ख) नाम निर्देशनों की सूची का प्रदर्शन,

(ग) नाम निर्देशनों के सम्बन्ध में आपत्तियां प्रस्तुत करना,

(घ) नाम निर्देशनों के सम्बन्ध में आपत्तियों का निस्तारण,

(ङ) वैध नाम-निर्देशनों की सूची का प्रदर्शन तथा विज्ञापन,

(च) नाम-निर्देशन वापस लेना,

और

(छ) नाम निर्देशनों की वापसी के पश्चात्, यदि कोई हो, सूची को अन्तिम रूप देना।

उपर्युक्त उप नियम के खण्ड तथा (२) के उप खण्ड (ख), (ङ), (छ) में अभिदिष्ट सूची परिनिरीक्षा अधिकारी की मुहर तथा हस्ताक्षर से संघ सूचना पट्ट पर लगाई जाएगी और उसकी दो प्रमाणित प्रतिलिपियां जिला सहायक निबन्धक, लखनऊ के कार्यालय को भेजी जाएगी, जहां उसकी एक एक प्रतिलिपि निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगी तथा दूसरी प्रतिलिपि अभिलेख में रक्खी जाएगी।

(३) नाम निर्देशन का प्रस्ताव जो प्रपत्र (ट) में होगा, परिनिरीक्षा अधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा। नाम निर्देशनों से सम्बन्धित आपत्तियां भी परिनिरीक्षा अधिकारी को सम्बोधित की जायेगी और उसके द्वारा उनका निस्तारण किया जायेगा।

नाम निर्देशन को वापस लेने का प्रस्ताव भी यदि कोई हो, आवश्यक कार्यवाही के लिये परिनिरीक्षा अधिकारी को सम्बोधित किया जाएगा।

६४–कोई उम्मीदवार प्रबन्ध कमेटी के एक से अधिक पद के लिये साथ-साथ निर्वाचन लड़ने के लिये अर्ह न होगा। यदि एक से अधिक पद के लिये नाम निर्देशन-पत्र वैध पाये जायें तो उसे केवल एक पद के लिए विकल्प देना होगा तथा अन्य के लिये अपना नाम निर्देशन वापस लेगा। ऐसी वापसी के लिये निश्चित दिनांक के पूर्व यदि वह अपने विकल्प का प्रयोग करने में वे चूक करे तो उसके नाम निर्देशन पत्र अवैध हो जायेंगे।

६५–उपविधि ६२ के अधीन अभिदिष्ट वार्षिक सामान्य बैठक की कार्यवाहियां नियम ४११ के उपबन्धों के अनुसरण में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति की सभापतित्व के अधीन आरम्भ की जायेंगी। बैठक का अध्यक्ष वार्षिक सामान्य बैठक को कार्य सूची की (निर्वाचन से भिन्न) समस्त मदों के निस्तारण के पश्चात् कार्य

वाड़ियों पर हस्ताक्षर करेगा ओर घोषणा करेगा कि निर्वाचनों का संचालन नियम ४१४ के अधीन नियुक्त निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाय। तत्पपश्चात् निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचनों के संचालन के लिये, पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

६६–(क) यदि किसी पद के लिये वैध नाम निर्देशनों की संख्या पूर्ति की जाने वाली रिक्तियों की संख्या से अधिक न हो तो ऐसे उम्मीदवार जिनके बैध नाम निर्देशन प्राप्त हुए हों, ऐसी रिक्तियों की पूर्ति के लिये तथा विधि निर्वाचित किए गए समझे जाएगे और पीठासीन अधिकारी निर्वाचन बैठक प्रारम्भ होने पर तदनुसार घोषणा कर सकता है।

(ख) यदि किसी एक या एक से अधिक स्थानों के लिये कोई भी वैध नाम निर्देशन न प्राप्त हो तो इस तथ्य की घोषणा भी निर्वाचन बैठक प्रारम्भ होने पर की जायेगी तथा ऐसी रिक्तियों की पूर्ति तथा स्थिति नियम ४५० या नियम ४५१ के अधीन आमेलन के द्वारा की जायगी।

६७–यदि किसी पद के लिये वैध नाम निर्देशनों की संख्या निर्वाचित की जाने वाली संख्या से अधिक हो जाय तो पीठासीन अधिकारी मतदान की व्यवस्था करेगा।

६८–(१) मतदान गुप्त मत पत्र द्वारा होगा। मददाता उस उम्मीदवार के नाम के सामने, जिसे वह मत देना चाहे क्रास चिन्ह x लगायेगा और तब शलाका पत्र गुप्त रूप से शलाका पेटी में रखेगा। संघ अपनी निधियों से अपेक्षित संख्या में तथा प्रकार शलाका पेटियों की व्यवस्था करेगा।

(२) उपरोक्त उपखण्ड (१) के प्राविधान को ध्यान में रखते हुए यदि कोई अनपढ़ मतदाता अपना मत अपनी इच्छा के उम्मीदवार को मत देने में पीठासीन अधिकारी की सहायता चाहता है तो पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाता को इस प्रकार मत देने में सहयोग देगा कि मतदाता ने किसको मत

दिया उसकी जानकारी दूसरों को न हो सके।

६९–(१) कोई शलाका पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा यदि :—

(क) उस पर मतदाता की पहिचान के लिये कोई हस्ताक्षर हों।

(ख) उस पर संघ की मुहर या मतदान अधिकारी का हस्ताक्षर न हो।

(ग) उस पर मतदान इंगित करने का कोई चिन्ह न हो।

(घ) उस पर भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक चिन्ह हों।

(२) यदि किसी शलाका पत्र पर अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के लिये चिन्ह इस प्रकार हों जिसमें स्पष्ट न हो कि किस अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों को मत दिया गया है तो वह ऐसे अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में अस्वीकार कर दिया जाएगा।

७०–पीठासीन अधिकारी उतने मतदान अधिकारी या गणना अधिकारी नियुक्त कर सकता हैं जितने उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक हों, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि संघ या उससे सम्बद्ध समिति का कोई कर्मचारी या मतदाता, मतदान अधिकारी या गणना अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाएगा।

७१–(१) प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या और निर्वाचन फल पीठासीन अधिकारी द्वारा गणना समाप्त होने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र घोषित किया जाएगा, गणना के समय निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

(२) निर्वाचन फल संघ की कार्यवृत्ति पंजी में भी अभिलिखित किया जायेगा और उसे पीठासीन अधिकारी प्रमाणित करेगा।

(३) संघ का सचिव संघ के सूचना पट पर उसी दिन एक सूची लटकायेगा जिसमें निर्वाचित उम्मीदवारों के नाम होंगे । सूची पर निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे ।

७२–निर्वाचन फल बराबर होने की दशा में, इस मामले का निर्णय परची डालकर किया जायेगा ।

७३–निर्वाचन सम्बन्धी प्रयुक्त शलाका पत्र तथा अन्य अभिलेख (कार्य-वाहियों की पुस्तिकाओं को छोड़कर) किसी लिफाफा या पात्र में रखे जायेंगे और पीठासीन अधिकारी उनको मुहरबन्द करेगा। यदि कोई उम्मीदवार चाहे तो वह भी अपनी मुहर उस पर लगा सकता है । निर्वाचन अधिकारी इस प्रकार का मुहरबन्द लिफाफा या पात्र संघ के सचिव को सौंप देगा जो उसकी प्राप्ति की अभि-स्वीकृति करेगा और छः माह या जब निबन्धक द्वारा अपेक्षित हो, उससे अधिक समय के लिये उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा ।

सभापति तथा उप सभापति का निर्वाचन :–

७४–(क) प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन फल की घोषणा के पश्चात् सचिव निर्वाचन अधिकारी के परामर्श से, संघ के सभापति उप सभापति और ऐसे अन्य पदाधिकारियों के निर्वाचन के लिए, जैसा उपविधियों में व्यवस्थित हो, प्रबन्ध कमेटी की पहली बैठक बुलाएगा । ऐसी बैठक का भी सभा-पतित्व निर्वाचन अधिकारी करेगा ।

(ख) प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों में से सभापति उपसभापति चुने जायेंगे ।

७५–उपरोक्त उपविधियों के अधीन निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र, पीठासीन अधिकारी को नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर बैठक में दिये जायेंगे । पीठासीन अधिकारी, ऐसी सरसरी तौर पर

जाँच करने के पश्चात, जो वह उचित समझे, आपत्तियों के सम्बन्ध में निर्णय देगा और अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के नाम की घोषणा करेगा । कोई भी उम्मीदवार एक से अधिक पद के लिये नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा ।

७६–यदि किसी पद के लिये केवल एक वैध नाम निर्देशन हो तो पीठा-सीन अधिकारी उस उम्मीदवार को, जिसका वैध नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुआ हो, उस पद के लिए यथाविधि निर्वाचित घोषित करेगा ।

७७–यदि किसी पद के लिये एक से अधिक वैध नाम निर्देशन हों तो पीठासीन अधिकारी तुरन्त उपविधि ६८, ६९, ७०, ७१, ७२ तथा ७३ के अनुबन्धों के अनुसार मतदान की व्यवस्था करेगा ।

प्रपत्र 'अ'

सहानुभूतिकर सदस्यता का प्रार्थना-पत्र

(नियम ५१ के अधीन)

सेवा में,

सचिव,

उत्तर प्रदेश उपभोक्त सहकारी संघ लि०,

पता..

..................................लखनऊ......................

महोदय,

मैं एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि० में सहानुभूतिकर सदस्य बनने के लिए प्रार्थी हूं और मैंने प्रवेश शुल्क रुपया...................... ....रसीद संख्या........................दिनांक............................... द्वारा उपरोक्त समितियों में जमा कर दिया है।

मैं निवेदन करता हूं कि मुझे..................................अंश प्रदिष्ट कर दिए जायें। मैं इन अंशों को प्रदिष्ट या कम संख्या में, जो भी मुझे प्रदिष्ट किए जायेंगे, स्वीकार करने के लिये सहमत हूं।

प्रार्थी का विवरण :-

(१) पूरा नाम

(२) पिता/पति का नाम

(३) आयु

(४) व्यवसाय

(५) स्थायी पता

(६) वर्तमान पता

मैं......................................एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मैंने जो उपरोक्त विवरण दिया है वह मेरी अधिकतम जानकारी व विश्वास के अनुसार सही है तथा सहकारी अधिनियम, नियमों तथा उक्त संघ की उपविधियों के अनुसार सदस्यता के लिये अर्ह हूं।

प्रार्थी का हस्ताक्षर/नि० अंगूठा